



जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

1502

पृष्ठ 15(1) पुनर्गठन / विधि / पंरावि / 2014 /

॥अधिसूचना॥

[illegible]

जिला कलेक्टरों द्वारा उपर्युक्त कारवायें किये जाने के क्रम में राज्य सरकार से अनुमोदन करवाया जा चुका है और कि-
स अभियानों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को संबंधित समंतीय आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन / नवमजान किया जा चुका है

युक्ति किं की निम्नलिखित पंचायत समितियों का पुनर्गठन/पुनर्समाकन/समानता के लिए किया जा रहा है।

1. **चुरु छिले** को निम्नलिखित पुनर्गठित / पुनर्समाकित / नवसृजित पर्यायत संगत आ ४ में दर्शाना मित

कि निधे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित हैं।
2. यह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित और अनुसूचित कि स्तम्भ 5 में वर्णित हैं।

पंचायत समितियाँ अधिकांशता का प्रयोग करती, ऐसा होगा। उसी के साथ-साथ पंचायत समितियों के चुनाव छः माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं।

3. अनुसूचा के स्तम्भ संख्या 4 की अनुसूची के अनुसार समितियों को पंचायत विभागों के अधिकार क्षेत्र में रखना।

4. और पशोक्त आदेश से युनाय क संघात उक्त पालक को ज्ञात होना जिससे अनुसूधा 2 में वर्णित है उस तोरिख से ही विद्यमान नही रहणी और कार्य काला बन्द कर दी जाय

मं वर्णित पंचायत समितियों का वार्षिकाल प्रार्थना	प्रस्तावित पंचायत समिति में
नैमान्त पंचायत	प्रस्ताविता पंचायत
स्वस्थि	

क्र.सं.	वर्तमान पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	वर्तमान पंचायत समिति मुख्यालय	प्रस्तावित पंचायत समिति का नाम एवं मुख्यालय	प्रस्तावित पंचायत समिति मुख्यालय
1	2	3	4	5
1	सुजानगढ़	1. चाडवांस 2. बालीरा 3. ठडेरू भांगवान 4. लुणी कालरा 5. लुहारा 6. चडवाली 7. पारवडा 8. दुकर 9. घाटियाल बडी 10. साण्डवा 11. बन्सू 12. हुंया 13. रंतालड 14. सखु छोटी 15. निरवसर 16. अमसर 17. तेहनदेसर 18. कावर छोटी 19. बाडसर 20. जोगलसर 21. कल्याणसर 22. लालगढ़	बीदासर	1. घाडवांस 2. बालीरा 3. ठडेरू भांगवान 4. लुणी कालरा 5. लुहारा 6. चडवाली 7. पारवडा 8. दुकर 9. घाटियाल बडी 10. साण्डवा 11. बन्सू 12. हुंया 13. रंतालड 14. सखु छोटी 15. निरवसर 16. अमसर 17. तेहनदेसर 18. कावर छोटी 19. बाडसर 20. जोगलसर 21. कल्याणसर 22. लालगढ़

23. शोभासर	1. शोभासर
24. सालासर	2. सालासर
25. नोरगासर	3. नोरगासर
26. खोरिया कनिराम	4. खोरिया कनिराम
27. खुडै	5. खुडै
28. मालासी	6. मालासी
29. मुरडाकिया	7. मुरडाकिया
30. गुडावडी	8. गुडावडी
31. मोमसर	9. मोमसर
32. लोडसर	10. लोडसर
33. खोबासर धोदालान	11. खोबासर धोदालान
34. मालीसर	12. मालीसर
35. लडाबर	13. लडाबर
36. हरासर	14. हरासर
37. तारियासर मीठा	15. तारियासर मीठा
38. मानिकिया रोज	16. मानिकिया रोज
39. आंसर	17. आंसर
40. रणधीसर	18. रणधीसर
41. गुलीरिया	19. गुलीरिया
42. गोपालपुरा	20. गोपालपुरा
43. चरवा	21. चरवा
44. जोगाहिया	22. जोगाहिया
45. जौतासर	23. जौतासर
46. जौली	24. जौली
47. सारोहिया	25. सारोहिया
48. बाघसर आथूणा	26. बाघसर आथूणा
49. भावेगा	27. भावेगा
50. कानुवा	28. कानुवा
51. मुन्दडा	29. मुन्दडा

राज्यपाल की आज्ञा से,

(राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

विषय को समझना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है। -

1. प्रमुख शासन सचिव, महाराष्ट्र नगरपालिका महोदय राजस्थान।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राजस्थान सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव/आगो/मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव/आगो/मुख्य सचिव राजस्थान जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव, शासन सचिव/विशेष शासन सचिव राज० जयपुर।
6. समस्त समीक्षा आगुस्त राजस्थान।
7. सचिव, राज्य निर्माण आयोग, राजस्थान।
8. समस्त जिला अफसर।
9. अधीक्षक, राज्य केन्द्रीय मृदागुण जयपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद-समस्त।
11. रजिष्ट्र प्रचाराली।

उपशमसन संचिव (विधि)



एक. 15(1) पुनर्गठन / विधि / प्रसवि / 2014 / 1466 जयपुर, दिनांक:- 5-11-2014

विभागीय अधिवृत्तना संख्या एफ.५.१५(१)पुनर्गठन/विधि/परावि/२०१४/९० दिनांक ०२.०६.२०१४ के द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, १९९४(१९८४ का अधिनियम संख्या १३) की धारा-९० के तहत प्रवृत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा-९, १० एवं १०१ में शक्ति शक्तियों को राज्य सरकार द्वारा संबंधित जिले के विभागाध्यक्ष को मान पंचायत एवं पंचायत समिति के पुनर्गठन/पुनर्संयोजन/पुनर्गठन करने हेतु उपयोग कर प्रस्ताव तैयार करने, सार्वजनिक अवलोकन के लिये प्रस्तुत करने, एक माह की अवधि में आपत्तियाँ

जिला कलेक्टर द्वारा उपर्युक्त कार्यवाई किये जाने के पश्चात् उनके द्वारा तैयार किये गये प्रस्तावों एवं की गई अभियोगों का परीक्षण कर, प्रस्तावों को मंजूरत समीचीन आयुक्त द्वारा राज्य सरकार से अनुमोदन करवाये जाने के पश्चात् वरू जिले की निम्नलिखित ग्राम (गाववाशों) को प्रमर्गाज / पनरुमीमकन / नवसुजज किया जा चुका है और कि :-

1. चरू जिनके का निम्नलिखित पुनर्निर्दिष्ट / पुनर्संयोजित ग्राम पंचायतों उस नाम से जानी जायेगी जो कि नीचे वर्णित अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित है;
2. वह स्थानीय क्षेत्र जिस पर इस प्रकार पुनर्निर्दिष्ट / पुनर्संयोजित / नवसृजित और अनुसूची के स्तम्भ 4 में यथानामित पंचायतों अधिकारिता का प्रयोग करेगी, ऐसा होगा जैसा कि स्तम्भ 5 में वर्णित है;
3. अनुसूची के स्तम्भ संख्या 4 में यथानिर्णित पंचायतों के चुनाव छ माह में पूर्ण करवाने के आदेश दिये जाते हैं;
4. और यथोक्त आदेश से चुनाव के पश्चात उक्त जिले की विधानमं ने पंचायतों को अनुसूची के स्तम्भ संख्या 2 में दर्जित हैं उस तारीख से ही विधानमं नहीं रहेगी और तामं करान वन्द कर अनुसूची के स्तम्भ 4 में वर्णित पंचायतों के कार्यकाल प्रारम्भ होगा।

पंचायत समिति-रतनगढ़					
क्र.सं.	वर्तमान ग्रामोपग का नाम	यत्नानें प्राप्त/उ में सम्मिलित ग्रामी का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयमित/ नवसृजित ग्रामोपग का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयमित/ नवसृजित ग्रामोपग का नाम	पुनर्गठित/ पुनर्संयमित/ नवसृजित ग्रामोपग का नाम
1	1. मातुड़ा क्षेत्राधान	2	3	4	5
1.		1. मातुड़ा क्षेत्राधान 2. मातुड़ा चारपाव 3. मातुड़ा की डाणी 4. हाथुल		मातुड़ा क्षेत्राधान 2. मातुड़ा चारपाव 3. मातुड़ा की डाणी	1. मातुड़ा क्षेत्राधान 2. मातुड़ा चारपाव 3. मातुड़ा की डाणी
2.	मातुड़ा			मातुड़ा	1. मातुड़ा 2. हाथुल 3. मातुड़ा

[illegible]

क्र.सं.	वर्तमान ग्रामपंचायत का नाम	वर्तमान ग्रामपंचायत में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसंयोजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसंयोजित ग्रामों का नाम
1	रमाईसर	1. रमाईसर 2. कुरगसर 3. पुरपुर	रमाईसर	1. रामपुर 2. कुरगसर 3. सोनमोहर
2	काकासर	1. काकासर 2. जखनमसर 3. धिसर 4. नवलमोहर	काकासर	1. काकासर 2. जखनमसर 3. धिसर 4. नवलमोहर
3	मालकसर	1. मालकसर 2. लोहसर 3. बंगला 4. नयासर	मालकसर	1. मालकसर 2. लोहसर
4	---	---	बावला	1. बावला 2. लोहसर 3. पुरपुर 4. मोहसर
5	रावपुर	1. रावपुर 2. मोहवाला 3. नौमोहर 4. रावपुर	रावपुर	1. रावपुर 2. नौमोहर
6	जखनमसर	1. जखनमसर 2. कनवासिया 3. चिरर	जखनमसर	1. जखनमसर 2. चिरर
7	---	---	रावपुरा	1. रावपुरा 2. मोहवाला 3. काकासर

पंचायत समिति-सुजानगर				
क्र.स.	वर्तमान ग्रामोप का नाम	वर्तमान ग्रामोप में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	डागी कल्लेरा	1.डागी कल्लेरा 2.डागी विखरान 3.डागी व्यामियान 4.डागी बोधन 5.काठीनाडा 6.रामदेवरा 7.डागी मेटलिया 8.डागी रायली	डागी कल्लेरा	5 1.डागी कल्लेरा 2.डागी विखरान 3.डागी व्यामियान 4.डागी बोधन 5.काठीनाडा 6.रामदेवरा 7.डागी मेटलिया 8.डागी रायली
2	पटियाल बडी	1.पटियाल बडी 2.पटियाल छोटी 3.रक पटियाल 4.नमपुरा 5.विगारेवा	पटियाल बडी	5 1.पटियाल बडी 2.पटियाल छोटी 3.रक पटियाल 4.नमपुरा 5.विगारेवा
3	उदाला	1.उदाला 2.गन्धुख 3.गन्धुख रीम 4.गो-सुखारणानाम	उदाला	5 1.उदाला 2.गन्धुख 3.गन्धुख रीम 4.गो-सुखारणानाम
4	खड्डा	1.खड्डा 2.खड्डा 3.खड्डा 4.खड्डा	खड्डा	5 1.खड्डा 2.खड्डा 3.खड्डा 4.खड्डा

पंचायत समिति-चूरु				
क्र.स.	वर्तमान ग्रामोप का नाम	वर्तमान ग्रामोप में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	रासली	1.रासली 2.रासली 3.रासली	रासली	5 1.रासली 2.रासली 3.रासली
2	बूटिया	1.बूटिया	बूटिया	5 1.बूटिया

पंचायत समिति-तारानगर				
क्र.स.	वर्तमान ग्रामोप का नाम	वर्तमान ग्रामोप में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	रिया	1.रिया 2.रिया 3.रिया	रिया	5 1.रिया

पंचायत समिति-राजगढ़				
क्र.स.	वर्तमान ग्रामोप का नाम	वर्तमान ग्रामोप में सम्मिलित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम	पुनर्गठित / पुनर्संयोजित / नवसृजित ग्रामों का नाम
1	खैर बडी	1.खैर बडी 2.खैर छोटी 3.खैर 4.खैर 5.खैर 6.खैर 7.खैर 8.खैर	खैर बडी	5 1.खैर बडी 2.खैर छोटी 3.खैर 4.खैर 5.खैर 6.खैर 7.खैर 8.खैर
2	रामपुरा	1.रामपुरा 2.रामपुरा 3.रामपुरा 4.रामपुरा 5.रामपुरा 6.रामपुरा 7.रामपुरा 8.रामपुरा	रामपुरा	5 1.रामपुरा 2.रामपुरा 3.रामपुरा 4.रामपुरा 5.रामपुरा 6.रामपुरा 7.रामपुरा 8.रामपुरा
3	देवडा	1.देवडा 2.देवडा 3.देवडा 4.देवडा 5.देवडा 6.देवडा 7.देवडा 8.देवडा	देवडा	5 1.देवडा 2.देवडा 3.देवडा 4.देवडा 5.देवडा 6.देवडा 7.देवडा 8.देवडा
4	-	-	गुलवा	5 1.गुलवा 2.गुलवा 3.गुलवा 4.गुलवा 5.गुलवा

राजपाल का आदेश से

राजपाल (राजेश यादव)

शासन सचिव एवं आयुक्त

प्रतिनिधि निम्न को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. प्रमुख शासन सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय परालम्बन।
2. शासन सचिव, मुख्यमंत्री महोदय राज्यपाल सरकार जयपुर।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव / अतिरिक्त मुख्य सचिव शासन जयपुर।
5. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव राज्य जयपुर।
6. समस्त प्रमुख शासन सचिव / शासन सचिव / विशिष्ट शासन सचिव राज्य जयपुर।
7. सचिव राज्य निर्माण आयोग, राजस्थान।
8. राजस्थान विधान सभा।
9. अतिरिक्त, राज्य कर्मचारी मुरारपुर को प्रकाशनार्थ।
10. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद - समस्त।
11. निहित प्रकाशनी।

उप शासन सचिव(विशिष्ट)